माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर

(पुँवारका, सहारनपुर, उ0प्र0, पिन–247120)

Website- msuniversity.ac.in Email ID – registrar@msuniversity.ac.in

पत्रांक : 1039 / 07 / प्रशा0 / MSU / 2023–24 दिनांक: 01.09.2023

सेवा में,

प्राचार्य / प्राचार्या

समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय

विषय –सेफ सिटी परियोजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक : 30.08.2023 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन के संलग्न पत्र संख्या–2474 / सत्तर–3–2023, दिनांक : 30.08.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में दिनांक : 30.08.2023 को सम्पन्न बैठक के अनुपालन में दिये गये निर्देशानुसार उच्च शिक्षण संस्थानों में शत–प्रतिशत कैमरे लगाये जाने के निर्देश दिये गये है।

अतः उच्च शिक्षा अनुभाग–3 के संलग्न शासनादेश दिनांक : 30.08.2023 में उल्लिखित बिन्दुओं के आलोक में निम्नलिखित गूगल लिंक पर आज ही सूचनाऐं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को उच्च शिक्षा अनुभाग–3 के माध्यम से सूचना उपलब्ध करायी जा सके।

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRuh4UaNoVPlLyH3_ls3vUA5Yx8_dIp2Dv-6oRiuqTf9a65g/viewform

भवदीय

ह0 / –

कुलसचिव

प्रतिलिपि अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

01. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन।
02. अपर परिषद, उच्च शिक्षा, लखनऊ।
03. शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा, प्रयागराज।
04. कुलपति कार्यालय को कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।

कुलसचिव

समयबद्ध/दिनांक 01.09.2023 तक
संख्या-2474/सत्तर-3-2023

प्रेषक,

गिरिजेश कुमार त्यागी,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. **निदेशक,**
   उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
   प्रयागराज।
2. **कुलसचिव,**
   समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
   उ0प्र0।
3. **समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,**
   उ0प्र0।
4. **अपर सचिव,**
   उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद,
   लखनऊ।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनांक 30 अगस्त, 2023**

विषयः सेफ सिटी परियोजना के कियान्वयन के सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 30.08. 2023 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 30.08.2023 को सम्पन्न बैठक में सेफ सिटी परियोजना के कियान्वयन के सम्बन्ध में निम्नवत् निर्देश दिये गये हैं :-

(1) प्रदेश के 17 नगर निगमों एवं जनपद गौतमबुद्धनगर में पूर्ण सेफ सिटी परियोजना स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में समस्त उच्च शिक्षण संस्थानों में शत-प्रतिशत सीसीटीवी कैमरा लगाये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

(2) उक्त कैमरा शैक्षणिक संस्थान के प्रवेश द्वार/निकास द्वार, परिसर, शिक्षण कक्ष (अन्दर एवं बाहर), गैलरी, बरामदा एवं मेनगेट (सड़क व अन्य) तथा छात्रावासों में लगाये जायें। इसके साथ ही उनकी सुरक्षा एवं उनके रख-रखाव की समुचित व्यवस्था की जाय। प्रत्येक संस्थान के सीसीटीवी कैमरे अच्छी गुणवत्ता वाले हों तथा उनकी न्यूनतम गारन्टी 05 साल की हो।

(3) प्रदेश के 17 नगर निगमों एवं जनपद गौतमबुद्धनगर में स्थित शैक्षणिक संस्थानों (विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों) में लगाये गये सीसीटीवी कैमरा की विश्वविद्यालय/महाविद्यालय वार सूची उपलब्ध करायें जाने के निर्देश दिये गये हैं।

(4) उच्च शिक्षण संस्थानों विशेषकर कोचिंग सेंटरों में छात्राओं हेतु पृथक से शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाय।

(5) उक्त बैठक में उच्च शिक्षा हेतु संचालित होने वाली कोचिंग संस्थानों के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये हैं कि जिन कोचिंगों में छात्राएं अध्ययरत हैं, वह कोचिंग रात्रि 08:00 बजे तक संचालित की जाय। यदि कोई कोचिंग रात्रि 08:00 बजे के उपरान्त संचालित पायी जाती है, तो उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(6) प्रश्नगत प्रकरण में दिये गये निर्देशों की अनुपालन आख्या दिनांक 02.09.2023 तक मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिये गये हैं।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए इसकी **अनुपालन आख्या शासन के ई–मेल आई0डी0 hesection.3@gmail.com पर दिनांक 01.09.2023 तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।**

भवदीय,

(गिरिजेश कुमार त्यागी)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रस्तर–1 के बिन्दु संख्या–5 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें :–

1– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2– समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(गिरिजेश कुमार त्यागी)
विशेष सचिव।